

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 जून 2021—आषाढ़ 3, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

क्र. एफ 1-1-2021-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

1. शीर्षक “पांचः—वाणिज्यिक कर विभाग” के अधीन,—

- (क) भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 21-क तथा 21-ख तथा उससे संबंधित प्रतिष्ठियों का लोप किया जाए.
- (ख) भाग (आ) में, विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम में, अनुक्रमांक 15, 16, 17, 18, 19 तथा 20 तथा उससे संबंधित प्रतिष्ठियों का लोप किया जाए.

2. शीर्षक “अठाह—नगरीय विकास एवं आवास विभाग” के अधीन,—

- (क) भाग (अ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 31 तथा उससे संबंधित प्रतिष्ठियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“32. सिनेमेटोग्राफ फिल्म की स्वीकृति.

33. चल-चित्रों का विनियमन, उनके अनुज्ञापत्र सहित:”;

(ख) भाग (आ) में, विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम में, अनुक्रमांक 21 तथा उससे संबंधित प्रतिष्ठियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रतिष्ठियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“22. मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17, सन् 1952).

23. चलचित्र अधिनियम, 1952 (क्रमांक 37, सन् 1952).

24. मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972.

25. मध्यप्रदेश सिनेमा विनियम (एडवरटाईजिंग वेन) नियम, 1960.

26. मध्यप्रदेश सिनेमा (एकजीबीशन ऑफ फिल्म बाय वीडियो कैसेट रिकार्डर) लाइसेंस नियम, 1983.

27. मध्यप्रदेश नये सिनेमा सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

क्र. एफ 1-1-2021-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2021-एक (1) दिनांक 22 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2021

F. No. 1-1-2021-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

1. Under the heading "V-Commercial Taxes Department",—

- (a) in Part (A) Matters of Policy dealt within the Department, serial numbers 21-A and 21-B and entries relating thereto shall be omitted.
- (b) in part (b) Acts and Rules Administered by the Department, serial numbers 15, 16, 17, 18, 19 and 20 and entries relating thereto shall be omitted.

2. Under the heading "XVIII-Urban Development and Housing Department",—

- (a) in Part (A) Matters of Policy dealt within the Department, after serial number 31 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

“32. Sanctioning of Cenematograph Films.

33. Regulation of Cinema's including their licensing.”;

(b) in Part (B), Acts and Rules Administered by the Department, after serial number 21 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—

- "22. Madhya Pradesh Cinema's (Regulation) Act, 1952 (No. 17 of 1952).
23. Madhya Pradesh Cinematograph Act, 1952 (No. 37 of 1952).
24. Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules, 1972.
25. Madhya Pradesh Cinema regulation (Advertising Vans) Rules, 1960.
26. Madhya Pradesh Cinema (Exhibition of films by Video Cassette Recorder) Licensing Rules, 1983.
27. Madhya Pradesh Naya Cinemagharon Ke Nirman Ko Protsahan Yojana Ke Sahayata Anudan Niyam, 1982."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.